INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

IN-UP05543831130813V

₹100

Certificate No.	:	IN-UP05543831130813V
Certificate Issued Date	:	05-Sep-2023 10:04 AM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14718404/ MURADABAD SADAR/ UP-MRD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14718404067217507695 89V
Purchased by	:	RUKMANI DEVI COLLEGE OF PHARMACY MBD
Description of Document	:	Article 4 Affidavit
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	BOARD OF TECHNICAL EDUCATION U P
Second Party	:	RUKMANI DEVI COLLEGE OF PHARMACY MBD
Stamp Duty Paid By	:	RUKMANI DEVI COLLEGE OF PHARMACY MBD
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते

Please write or type below this line

NOTARY PUBLIC VINOD KUMAR Advocate / Notary Distt. Moradabad

शपथपत्र

समक्ष – श्री मान सचिव महोदय
प्राविधिक शिक्षा परिषद्
उत्तर प्रदेश लखनऊ

हम कृपाल सिंह एवं कमल सिंह मलिक क्रमशः अध्यक्ष एवं सचिव रूकमणि शिक्षण संस्थान लोधीपुर राजपूत दिल्ली रोड मुरादाबाद शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं –

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा रूकमणि देवी कॉलेज ऑफ़ फार्मेसी, बागड़पुर लोधीपुर राजपूत दिल्ली रोड मुरादाबाद नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

Secretary/Manager
Rukmani Shikshan Sansthan
Lodhipur Rajput Moradabad

रूकमणी शिक्षण संस्थान
ग्रा० लोधीपुर राजपूत, मुरादाबाद

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. ...
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

2. यह कि हमारी सोसाइटी रूकमणि शिक्षण संस्थान लोधीपुर राजपूत दिल्ली रोड मुरादाबाद में गाटा संख्या 79 एवं 2.5 एकड़ रकबा एवं 1.012 हेक्टेयर भूमि है।

3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4. यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 79 एवं 2.5 एकड़ रकबा एवं 1.012 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक **25/02/2019** द्वारा पारित किया गया है।

5. यह कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।

6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।

Secretary/Manager
Rukmani Shikshan Sansthan
Lodhipur Rajput Moradabad

रूकमणी शिक्षण संस्थान
ग्राम-लोदीपुर राजपूत, मुरादाबाद

8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई0टी0आई0 आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरूद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

Secretary/Manager
Rukmani Shikshan Sansthan
Lodhipur Rajput Moradabad

रुकमणी शिक्षण संस्थान
ग्रा0–लोदीपुर राजपूत, मुरादाबाद

05.09.23

NOTARY PUBLIC
VINOD KUMAR
Advocate / Notary
Distt. Moradabad
Regn. No 10172/14
GOVT. OF INDIA